

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19-10-22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कंडोलेन्स करने/कार्य स्थागित करने के कारण पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2-11-22 को पेश हो।	कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2-11-22 को पेश हो।
2-11-22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कंडोलेन्स करने/कार्य स्थागित करने के कारण पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16-11-22 को पेश हो।	कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16-11-22 को पेश हो।
16-11-22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कंडोलेन्स करने/कार्य स्थागित करने के कारण पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7-12-22 को पेश हो।	कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7-12-22 को पेश हो।
7-12-22	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थ एवं अपीलार्थ अधिवक्ता अनुपस्थित। वारन्वार अलाज लगाई गई बावजूद इसके अपीलार्थ अधिवक्ता अनुपस्थित। रेस्पोंडेंट एवं अपीलार्थ से कोई अपस्थित नहीं। पेंरोकार सत्कार उपस्थित। पत्रावली में बावजूद अलाज दिलाई उनके बावजूद अपीलार्थ एवं रेस्पोंडेंट संश्लेषण क्षेत्र अनुपस्थित हैं। पत्रावली में पूर्व में भी दिनांक 20-4-22 से अपीलार्थ एवं रेस्पोंडेंट अनुपस्थित रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थ और रेस्पोंडेंट वाद की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। न्यायस्थल में पत्रावली का अल्लोकन किया गया और प्राया कि पत्रावली में अपील का मत नामान्तरण संख्या 24 दिनांक 3-1-2008 वि. लू. तदपीलदार न्यायालय राजा में पेश की गई है। अपीलार्थ द्वारा न्यायालय निर्देशों के बावजूद	कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7-12-22 को पेश हो।

32

आतिशय कलकत्ता (तृतीय) जयपुर

निराल

# फर्द अहकाम

न्यायालय **अतिरिक्त कलक्टर**  
(तृतीय) जयपुर

संख्या                      बनाम शोभन वर्मा

मुकदमा संख्या/वर्ष 135/2018 :                      / 20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
--------	---------------------------	----------------------

रेस्पॉण्डेंट संख्या 3 से 7 के नोटिस दिनांक 16-2-22 से पेश नदी किमें जा रहे हैं। इस प्रकार अपील/आपील अधिकारता द्वारा अपील की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। साथ ही रेस्पॉण्डेंट संख्या 1 व 2 भी जोर से भी कोर्ट उपस्थित नहीं हुआ है। अतः अपील अपील/आपील अधिकारता द्वारा प्रस्तुत अपील सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रादेश 9 नियम 5 एवं आदेश 9 नियम 8 के अन्तर्गत नोटिस सफ्त पर पेश नदी करने एवं अनुपस्थित रहने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फसल नुसार होकर, दर्ज नम्बर से कम होकर दक्षिण दफ्तर हो। - 32

**अतिरिक्त कलक्टर**  
(तृतीय) जयपुर